राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/1631 दिनांक 12/1/2015

परिपत्र-9

विषयः—भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन पर होने वाले व्यय के भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप शासन सचिव, वित्त (बजट) के आदेश क्रमांकः प.4(151) वित्त-1(1) आ.व्य./2013 दिनांक 08.08.2014 द्वारा ब्लॉक /शहरी वार्ड स्तरीय प्रशिक्षण तथा भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन पर व्यय करने के लिए जिला कलक्टरों को आहरण एवं वितरण के अधिकार प्रदान किये गये है। इस क्रम मे आयोजना (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक एफ 17(1)/2/भामाशाह /बजट/डीईएस/2014/पार्ट II दिनांक 08.08.2014 द्वारा सभी जिलो को ब्लॉक /शहरी वार्ड स्तरीय प्रशिक्षण तथा भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन पर व्यय करने के लिए शिविरों की अवधि 2 दिवस मानते हुए बजट आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव, महोदय द्वारा जारी परिपत्र-4 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा मशीनों की संख्या, जनसंख्या/परिवारों की संख्या एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भामाशाह नामांकन शिविरों की अवधि 2 दिवस से अधिक बढ़ाने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं।

अतः यदि जिला प्रशासन द्वारा शिविरों की अवधि में वृद्धि की जाती है तो भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन के लिए निम्नानुसार भुगतान किया जायेगाः-

1. भामाशाह योजना नामांकन शिविर मार्गदर्शिका के परिपत्र क्रमांक 1 के परिशिष्ठ-9 में अंकित बजट व्यवस्था में 2 दिवसीय शिविर हेतु दैनिक आधार पर प्रतिदिन 6,250 रूपये के हिसाब से 12,500 रूपये तथा 2 दिवसीय शिविर हेतु 2,500 रूपये विविध व्यय बैनर आदि हेतु दर्शायी गई है। अतः उन स्थानो पर जहां जिला प्रशासन के द्वारा 2 दिवस से अधिक दिन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है वहां 2 दिवस से अधिक शेष दिवस के लिए 5000 रूपये प्रतिदिन अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, व्यय किया जा सकेगा एवं 2,500 रूपये

विविध व्यय प्रत्येक शिविर के लिए एक बार ही देय अर्थात विविध व्यय को शिविर आयोजन के दिनों की संख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

2. सभी जिलों को ग्राम पंचायतों/शहरी निकायों एवं वार्डो की संख्या के आधार पर सम्पूर्ण बजट (दो दिवसीय शिविर) आवंटित किया गया है। यदि जिला प्रशासन द्वारा शिविरों की अवधि में वृद्धि की जाती है तो जिन शिविरों की अवधि बढ़ायी गई है, उन आयोजित शिविरों के लिए पूर्व में आवंटित बजट में से भुगतान नियमानुसार किया जा सकता है। आंवटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग होने के पश्चात यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता रहती है तो उसके प्रस्ताव भेजे जावें।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/1632-2282 दिनांक 12.1.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
6. समस्त उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं जिला भामाशाह अधिकारी।
7. समस्त उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव आयोजना

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
फोन-0141-2222740/5167100 फेक्स-0141-2229756